रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2575] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939
No. 2575] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/BHADRA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.आ. 2936(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (उक्त राजपत्र अधिसूचना निर्दिष्ट कहा गया है) के अनुसरण में, निम्नलिखित सदस्यों से युक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), कर्नाटक (इसमें इसके पश्चात् कर्नाटक प्राधिकरण कहा गया है), का गठन करती है, अर्थात् :—

1. डॉ. के.सी. जयरामू, —अध्यक्ष;
   आचार्य, सिविल इंजीनियरी विभाग,
   प्रौद्योगिकी विभाग, वी.वी. पुरम,
   बंगलौर, कर्नाटक - 560004

2. डॉ. एच.बी. अरविंद, आचार्य और अध्यक्ष, —सदस्य;
   सिविल इंजीनियरी विभाग,
   बापूजी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान,
   दावनगेरे - 577004, कर्नाटक

3. सरकार के सचिव (पारिस्थितिकी और पर्यावरण), —सदस्य सचिव
   वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग,
   कर्नाटक सरकार, एम.एस. भवन,
   बंगलौर - 560001, कर्नाटक

2. प्राधिकरण, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जिनको उक्त राजपत्र अधिसूचना में निरूपित किया गया है।

4. प्राधिकरण, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के लिए इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के पश्चात् अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, कर्नाटक को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार कर्नाटक की राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित सदस्यों से युक्त राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) (एसईएसी, कर्नाटक के रूप में तत्पश्चात निर्दिष्ट कहा गया है) का गठन करती है :—

1.	श्री एन. नगन्ना, मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त), सं. 174, सातवां क्रॉस, 5वीं सी मेन, आर.पी.सी. लेआऊट, विजयनगर, सेकेंड स्टेज़, बेंगलौर - 560104, कर्नाटक	—अध्यक्ष;
2.	श्री बी. चिक्काप्पईया, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), सं. 135, एन ब्लॉक, कुवेमपुनागरा, मैसूर - 570023, कर्नाटक	—सदस्य;
3.	डॉ. एन. कृष्णामूर्ति, आचार्य और संकायाध्यक्ष, स्नात्तकोत्तर अध्ययन, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरू - 560065, कर्नाटक	—सदस्य;
4.	डॉ. एम.आई. हुसैन, फ्लैट सं. 2, वरूषि अपार्टमेंट, # 62, एमएलए लेआऊट, आरएमवी दूसरी स्टेज़, डॉलर्स कॉलोनी, बेंगलुरू, कर्नाटक	—सदस्य;
5.	डॉ. के.बी. उमेश, आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, जीकेवीके, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरू - 560065, कर्नाटक	—सदस्य;
6.	श्री एम. श्रीनिवास, सह-आचार्य, सिविल इंजीनियरी विभाग, मलनाड इंजीनियरी महाविद्यालय, हासन - 573201, कर्नाटक	—सदस्य;
7.	श्री जी.टी. चन्द्रशेखरप्पा, प्लॉट सं. 6, फर्स्ट मेन, सेकेंड स्टेज, हनुमान नगाड़ा, बेलागावी (बेलगॉम) – 590001 कर्नाटक।	—सदस्य;
8.	डॉ. विनोदकुमार सी.एस., आचार्य, सूक्ष्मजैविकी विभाग, एस.एस. चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, दावनगेरे, कर्नाटक - 577005	—सदस्य;
9.	श्री व्याश्क वी. आनंद, ई-702, राहेजा रेजीडेंसी, तीसरा ब्लॉक, कोरामंगला, बेंगलुरू, कर्नाटक - 570034	—सदस्य;
10.	श्री जे.जी. कवेरीप्पा, सं. 40, श्री कृष्णा, चौथा 'ए' क्रॉस, पहला ब्लॉक, आनंदनगर, आर.टी. नगर डाक, बेंगलुरू, कर्नाटक	—सदस्य;

11. श्री डी. राजू, —सदस्य;
कृषि निदेशक (सेवानिवृत्त)
सं. 253, दूसरा स्टेज़, सेकेंड चरण, 15वीं डी क्रॉस महालक्ष्मीपुरम, बेंगलुरू

12. विशेष निदेशक (तकनीकी प्रकोष्ठ) —सचिव
वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग,
कर्नाटक सरकार, एम.एस. भवन,
बेंगलुरू - 560001, कर्नाटक

6. एसईएसी, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, कर्नाटक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जिनका उक्त राजपत्र अधिसूचना में निरूपित किया गया है।

8. एसईएसी, कर्नाटक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करेगी और अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हो पाती तो बहुमत अभिभावी होगा।

9. कर्नाटक सरकार, द्वारा प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित किया जाएगा और प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के सभी कानूनी कार्यों को करने में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार सहायता प्रदान की जाएगी।

10. प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता का भुगतान, कर्नाटक की राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/16/2007-आईए. II(I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

S.O. 2936(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Karnataka (hereinafter referred to as the Authority, Karnataka) comprising of the following Members, namely:—

1. Dr. K. C. Jayaramu, —Chairman;
Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Technology, V.V.Puram,
Bangalore, Karnataka -560004.

2. Dr. H. B. Arvinda —Member;
Professor and Head,
Department of Civil Engineering,
Bapuji Institute of Engineering and Technology,
Davanagere - 577004, Karnataka.

3. Secretary to Government (Ecology and Environment), —Member Secretary.
Forest, Ecology and Environment Department,
Government of Karnataka, M.S. Building,
Bangalore - 560001, Karnataka.

2. The Chairman and Members of the Authority, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette Notification.

4. The Authority, Karnataka shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Karnataka.

5. To assist the Authority, Karnataka, the Central Government, in consultation with the State Government of Karnataka, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Karnataka) comprising of the following Members, namely:-

1.	Shri N. Naganna, Chief Engineer (Retd.), No. 174, 7th Cross, 5th C Main, R.P.C. Layout, Vijayanagar 2nd Stage, Bangalore - 560104, Karnataka.	—Chairman;
2.	Shri B. Chikkappaiah, Indian Forest Service (Retired), No. 135, N Block, Kuvempunagara, Mysore - 570023, Karnataka.	—Member;
3.	Dr. N. Krishnamurthy, Professor and Dean of Post Graduate Studies, University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru - 560065, Karnataka.	—Member;
4.	Dr. M. I. Hussain, Flat No. 2, Vrushi Apartment, # 62, MLA Layout, RMV 2nd Stage, Dollars Colony, Bangalore, Karnataka.	—Member;
5.	Dr. K. B. Umesh, Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, GKVK, University of Agricultural Science, Bangalore -560065, Karnataka.	—Member;
6.	Shri M. Srinivasa, Associate Professor, Department of Civil Engineering, Malnad College of Engineering, Hassan - 573201, Karnataka.	—Member;
7.	Shri G. T. Chandrashekharappa, Plot No. 6, 1st Main, 2nd Stage, Hanuman Nagara, Belagavi (Belgaum) - 590001, Karnataka.	—Member;
8.	Dr. Vinodkumar C. S., Professor, Department of Microbiology, S.S. Institute of Medical Sciences & Research Centre, Davanagere - 577005, Karnataka.	—Member;
9.	Shri Vyshak V. Anand, E-702, Raheja Residency, 3rd Block Koramangala, Bangalore - 570034, Karnataka.	—Member;
10.	Shri J. G. Kaveriappa, No. 40, Sri Krishna, 4th 'A' Cross, 1st Block, Anandnagar, R.T. Nagar Post, Bengaluru, Karnataka.	—Member;
11.	Shri D. Raju, Director of Agriculture (Retd.) No. 253, 2nd Stage, 2nd Phase, 15th D Cross, Mahalakshmipuram, Bangalore.	—Member;

12.	Special Director (Technical Cell) Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, M.S. Building, Bangalore - 560001, Karnataka	—Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette Notification.

8. The SEAC, Karnataka shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Karnataka shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all the statutory functions of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall be paid as per the rules of the State Government of Karnataka.

[F. No. J-11013/16/2007-IA-II (I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.08 11:39:12 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.